wabazar. Gursahaiganj, Jayas, Dumanyaganj, Madhaha, Karhal, Richha, Jaspur, Rudraprayag, Herbartpur, Bhinga, Koirauna, Payagpur, Kherabad.

1994-95

Loharghat, Badagaon, Naugaon, Barkot, Kosi, Ghansali, Kalpi, Lambgaon, Bamraulli, Maneuri, Bharwari, Ajuha, Bazar, Lalgopalganj, Sirsa, Bharatganj, Karahhana, Manda, Kasimpur, Ghiror, Jiyanpur, Gangoh, Tiloi, Rampur, Mathura, Etwabazar, Kishnapur, Bisal, Kushinagar, Jim Corbett Parak, Pachpedva, Shaktinagar, Chiriyakot, Damta, Pawau, Kanskhet, Naugaonkhal, Satpauli, Lakhawar, Badrinath, Chotwaragaon, Fefana, Awagarh, Peenimadra, Basantipur, Nhamia, Aliganj, Harduaganj

Shifting of finger print Bureau office from Calcutta

440. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the shifting of the Finger Print Bureau from Calcutta to Delhi is in progress;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) the number of officers and employees who have already been shifted to Delhi and those proposed to be shifted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) In pursuance of the recommendations of the National Police Commission and for functional and administrative reasons, it was decided in 1987 to shift some operational sections of Central Finger Print Bureau from Calcutta to Delhi under the administrative control of the National Crime Records Bureau.

(c) Since 1987, 4 officers and 19 employees have been shifted to Delhi. It is proposed to shift 9 more employees.

गैर-सरकारी समानान्तर डाक सेवा चलाने वाले अभिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही

441. श्री भंवर लाल पंवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो एजेंसियां, संस्थाएं तथा व्यक्ति गैर-सरकारी समानान्तर डाक सेवाएं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं, ताकि उनके खिलाफ भारतीय डाकघर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए और इन अभिकरणों को इस कार्य से रोका जा सके ;

(ख) पुलिस के पास कितनी रिपोर्टें की गई और अब तक कितने मुकदमें दायर किए गए ;

(ग) गैर-सरकारी समानान्तर डाक सेवाओं को चलाए जाने के कारण सरकार को अनुमानत: कुल कितने राजस्व की सालाना हानि हुई ;

(घ) क्या ये गैर-सरकारी समानान्तर डाक सेवाएं पिछले दो वर्षों के दौरान ठीक समय पर डाक-सेवा उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के कारण शुरू हुई हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस समस्या को हल करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां । जब कभी पर्याप्त सबूत के साथ भारतीय डाकघर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने का मामला ध्यान में आता है, तो कानून के उपबंधों के अधीन कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है ।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान, देश के विभिन्न भागों में चार मामलों की पुलिस को रिपोर्ट की गई । विस्तृत जांच करने के बाद न्यायालय में मामले पुलिस दायर करती है ।

(ग) प्राइवेट आपरेटरों द्वारा किये गए कारोबार को विभाग के राजस्व में ई हानि के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि विभाग इसके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा और न ही इस पर कोई खर्च कर रहा है । जहां तक कूरिअर सेवाओं का संबंध है, जब तक वे ऐसे पार्सल और अन्य मुद्रित सामग्री लाते-ले जाते हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति को पत्राचार की श्रेणी में नहीं आती, तब तक वे भारतीय डाकघर अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(घ) समानान्तर डाक सेवाओं के विकास को, डाक सेवायें उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के रूप में नहीं लिया जा सकता इनका विकास, विकासशील वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थानों द्वारा नई किस्म की सेवाओं की मांग के कारण अधिक हुआ है ।

(ङ) विभाग ने ग्राहकों को एक प्रतियोगी, तेज और गारंटी शुदा सेवा प्रदान करने के लिए 1-1-86 से अपनी स्पीड पोस्ट (एक्सप्रस डाक सेवा) चालू की है। जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं —

(i) फ्री पिक-अप सर्विस,

(ii) बुक यूअर ओन आर्टिकल स्कीम,

(iii) बुक नाउ पे लेटर फैसिलिटी (बिना पूर्व अदायगी किए वस्तुओं की बुकिंग और बिलों का समायोजन साप्ताहिक आधार पर) ।

(iv) पैसा वापस लेने की सुविधा (पे बैक फैसिलिटी) (गारंटी शुदा समय के भीतर वितरण न करने के मामले में स्पीड पोस्ट शुल्क की वापसी) ।

मध्य प्रदेश को सड़क निधि से अनुदान

442. **श्री राघवजी :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3-पर बने घोड़ा पछाड़ पुल के पिछले वर्ष गिर जाने और उसके पश्चात् यातायात को विदिशा-अशोक नगर, सागर-भोपाल सड़कों की ओर मोड़े जाने के फलस्वरूप इन सड़कों पर हुई टूट-फूट के लिए क्षतिपूर्ति के लिए सड़क निधि से अनुदान दिए जाने की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब की गई थी और कितनी धनराशि की मांग की गई है,

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और,

(घ) यदि नहीं, तो अनुदान को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां । राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर घोड़ा-पछाड़ पुल के ढह जाने से यातायात का मार्ग बदलने के कारण राज्य सड़कों को हुई क्षति में सुधार के संबंध में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 19-8-91 को 558.18 लाख रु. लागत के के कुछ प्रस्ताव पेश किए थे, जिनमें विदिशा-अशोक नगर (ओडार से विदिशा सड़क), विदिशा-सागर सड़क, राहतगढ़-भोपाल सड़क और विदिशा सड़क शामिल है ।

(ग) और (घ) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में, संसद् द्वारा 13-5-88 को पारित संशोधित संकल्प के अनुरूप अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा दी गई आपसी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि के बाद ही इन प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार किया जा या ।